## **NOTICE FOR INVITING QUOTATION**

Quotation are invited for printing of different passes for the use of High Court, Lucknow, Lucknow Bench. Sample of passes are attached herewith.

The required quantity are given as under-

S. No.	Type of Pass	Quantity(in numbers)	
1	Law Intern (Green Color)	300	
2	A.O.R. Advocates (Black Color)	1000	
3	Vender Typists and others (Brown Color)	200	
4	A.G. Offices/C.S.C.Office (Orange Color)	500	
5	U.P.R.N.N. (Pink Color)	200	
6	Departmental Pairavi (Blue Color)	200	

On the proforma attached as Annexure 'A', quotations can be submitted in the office of **Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow** upto **03.04.2017, 3:00 p.m.**.

Section Officer Stationary Section

## Proforma

1.	Name of the Firm:	
2.	Name of Proprietor	
3.	Address	
4.	Phone Nos	
5.	Trade Tax/Vat Registration No (Please enclose Photocopy)	


6. Name of Authorized person with phone number

S. No	Type of Pass	Quantity(in numbers)	Rates
1	Law Intern (Green Color)	300	
2	A.O.R. Advocates (Black Color)	1000	
3	Vender Typists and others (Brown Color)	200	
4	A.G. Offices/C.S.C. Office (Orange Color)	500	
5	U.P.R.N.N. (Pink Color)	200	
6	Departmental Pairavi (Blue Color)	200	

Date:


(Authorized Signatory) Seal:

....



Enclosur Getwa

Pink Cards for UPRNN



## नियम

- इस प्रवेश-पत्र के खोने, चोरी या नष्ट हो जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरा प्रवेश-पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही जारी होगा। 2. स्थानन्तरण या मान्य अवधि समाप्त होने पर प्रवेश-पत्र सक्षम
- अधिकारी को वापस कराना अनिवार्य है।
- इस प्रवेश-पत्र पर अनधिकृत रूप से कुछ लिखना/काट-छांट करना मना है।
- उच्चन्यायालय परिसर में हथियार, कैमरा, टेप-रिकार्ड ब्रिफ केस एवं बैग आदि ले जाना मना है।
- 5. निर्धारित शुल्क पर अनुमन्य। निर्गम तिथि..... .20

Enclos J

Card for Department Pairavi

क्रम सं ः उच्च न्यायालय प्रवेश-पत्र नाम..... कार्य..... सम्बन्ध..... फोन नं..... मान्य अवधि..... वरिष्ठ निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ धारक के हस्ताक्षर

200

- नियम 1. इस प्रवेश-पत्र के खोने, चोरी या नष्ट हो जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरा प्रवेश-पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही जारी होगा। 2. स्थानन्तरण या मान्य अवधि समाप्त होने पर प्रवेश-पत्र सक्षम अधिकारी को वापस कराना अनिवार्य है। 3. इस प्रवेश-पत्र पर अनधिकृत रूप से कुछ लिखना/काट-छांट करना मना है। 4. उच्चन्यायालय प्रायस के नियन्त

- 4. उच्चन्यायालय परिसर में हथियार, कैमरा, टेप-रिकार्ड ब्रिफ केस एवं बैग आदि ले जाना मना है।
- निर्धारित शुल्क पर अनुमन्य। निर्गम तिथि......
- 20